न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु. नं0 ..... वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22-9-20	अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 105/2006 बउनवानी सुरेश बनाम कृष्ण आदि में दिनांक 29.06.2006 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 360,362, 383/49,249 वाके ग्राम पिलोद के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति एवं रहनबय आदि नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। यह आदेश 29.06.2006 से दिनांक 03.11.2020 तक यथावत रहना आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है। दिनांक 29.06.2006 के उपरान्त 146 तारीख पेशीयां दी जा चुकी है एवं लगभग 14 साल का समय व्यतित हो चुका है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन पाया जाता है फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार योग्य पाई जाती है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 105/2006 बउनवानी सुरेश बनाम कृष्ण आदि में दिनांक 29.06.2006 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 360,362, 383/49,249 वाके ग्राम पिलोद के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति एवं रहनबय आदि नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में आगामी दो माह में उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	